



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1987/चैत्र 6, 1989

No. 138]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1987/CHAITRA 6, 1989

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेशी कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1987

अधिसूचना सं. 7204

आयकर

सा.का.नि. 314(अ):—इससे उपाबद्ध भारत गण-
राज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच दोहरे
कराधान के परिवर्तन और आयकरों की बाबत राजवित्तीय
अपवंचन के निवारण के लिए अभिसमय उक्त अभिसमय के
अनुच्छेद 28 के पैरा 1 द्वारा यथा अपेक्षित संवैधानिक
अपेक्षाओं के अनुपालन में दोनों ही संविदावादी राज्यों
द्वारा अपने-अपने राज्यों में अधिसूचना जारी करने पर,
3 दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हो गया है;

अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम,
1813 GI/87

1964 की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय
के सभी उपबन्ध भारत के संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

उपाबन्ध

भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार
के बीच आय पर करों के संबन्ध में दोहरे कराधान के
परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार
ने आय पर करों के संबन्ध में दोहरे कराधान तथा राजस्व
अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय निष्पादन करने हेतु
निम्नानुसार सहमति व्यक्त की है:—

अनुच्छेद 1

व्यक्तिक विषय-क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदा-
कारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी
हैं।

(1)

अनुच्छेद 2

अभिसमय के प्रन्तर्गत आने वाले कर

1. विद्यमान कर जिन पर यह अभिसमय लागू होगा, इस प्रकार हैं :

- (क) न्यूजीलैंड के मामले में :
 आयकर और आधिक्य प्रतिधारण
 (एतद्वपश्चात् "न्यूजीलैंड कर" के रूप में उल्लिखित)
- (ख) भारत के मामले में :
 आयकर जिसमें उस पर उद्ग्रहणीय कोई भी प्राधिकार और अतिकर शामिल है
 (एतद्वपश्चात् "भारतीय कर" के रूप में उल्लिखित) ।

2. यह अभिसमय, किसी भी समरूप अथवा सारतः वैसे ही करा पर भी लागू होगा जो वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाव वर्तमान करों के प्रतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक दूसरे को देंगे ।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के उद्देश्यों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) (1) "न्यूजीलैंड" शब्द से अभिप्रेत है, न्यूजीलैंड का राज्य-क्षेत्र परन्तु उसमें तोकेलाऊ अथवा कुक द्वीपसमूहों और नियु के संबद्ध स्व-शासित राज्य शामिल नहीं है; इसमें क्षेत्रीय समुद्र के परे ऐसा कोई भी क्षेत्र शामिल है जो न्यूजीलैंड के विधान और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसा क्षेत्र रहा हो अथवा इसके बाद कहा जा सकेगा जिसमें, प्राकृतिक संसाधनों के संबन्ध में न्यूजीलैंड के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा,
- (2) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का आकाशी क्षेत्र और साथ ही अन्य कोई समुद्री क्षेत्र शामिल है जिन पर भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है ;

(ख) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार न्यूजीलैंड अथवा भारत अभिप्रेत है ।

(ग) "कर" शब्द से संदर्भ की अपेक्षानुसार न्यूजीलैंड कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबन्ध में किसी चूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबन्ध में लगाया गया कोई अर्थ दण्ड हो ;

(घ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय अथवा सत्ता शामिल है जिन्हें संबन्धित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है अथवा एक व्यक्ति समझा जाता हो ;

(ङ) "कम्पनी" शब्द से ऐसा कोई भी निगमित निकाय अथवा ऐसी कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) न्यूजीलैंड के संबन्ध में, कोई भी व्यक्ति जिसे न्यूजीलैंड की नागरिकता प्राप्त हो और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संगम जिसे न्यूजीलैंड में प्रवृत्त कानूनों से इस प्रकार की हैसियत प्राप्त हो ;

(2) भारत के संबन्ध में भारत की राष्ट्रिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संगम जिसे भारत में प्रवृत्त कानूनों से इस प्रकार की हैसियत प्राप्त हो ;

(ज) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" शब्दों से अभिप्रेत है एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन, सिवाय इसके जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) न्यूजीलैंड के मामले में कमीशनर ऑफ इनसैड रेवेन्यू अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(2) भारत के मामले में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. जहाँ तक एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू करने का संबन्ध है, किसी भी शब्द का, जो इस अभिसमय में परिभाषित नहीं है, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कानूनों के अधीन उसका अर्थ होता है जो उन करों से संबन्धित है, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो, जिस पर संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके अभिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लग सकता है। किन्तु इस शब्द के अर्थ विस्तार के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है जिस पर उस राज्य में झोतों से आय के संबन्ध में ही उस राज्य में कर लग सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैसियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :

- (क) वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसको कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो ; यदि उसको दोनों ही राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध न तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबन्ध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा उसको दोनों में से किसी भी राज्य में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो ;
- (ग) यदि उसका दोनों ही राज्यों में ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो अथवा उनमें से किसी में भी ऐसा आवास नहीं हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैरा 1 के उपबन्धों के कारण से, व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित हो।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारखाने का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके माध्यम से उद्यम का कारखाने सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों के अर्थ-विस्तार के अंतर्गत विशेषतः निम्नलिखित आते हैं :

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कर्मशाला ;
- (च) खान, तेल अथवा गैस कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का कोई मालगोदाम ;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वनविधा, बागवानी अथवा उनसे संबंधित कार्य-कलाप किए जाते हैं ;
- (झ) बिक्री स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कोई परिसर ;
- (ञ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण अथवा प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना अथवा उसके संबन्ध में, पर्यवेक्षी कार्यकलाप जहाँ ऐसी स्थल अथवा परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप (अन्य ऐसे स्थलों अथवा परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों सहित यदि कोई हो) अथवा उनका मिलाजुला कोई भी कार्यकलाप छः महीने में अधिक अवधि के लिए जारी रहता हो ; और
- (ट) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा निष्कर्षण के लिए किया जाता है, बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम का एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारखाने चलाना माना जाएगा यदि वह उस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा निष्कर्षण के संबन्ध में उस राज्य में कार्यकलाप चलाता है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों के अर्थविस्तार के अंतर्गत निम्न-लिखित को शामिल नहीं माना जाएगा ;

- (क) किसी उद्यम के माल अथवा तिजारती सामान के पूर्णतः भंडारण अथवा उसके प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा तिजारती सामान का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के उद्देश्य से ही उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का स्टॉक रखना ;
- (घ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा तिजारती माल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से कारबार का निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, सूचना देने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अथवा किसी भी ऐसे अन्य कार्यकलापों के लिए, जो प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के एजेंट जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न हो दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो प्रथमोल्लिखित राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि :

- (क) उसे उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का अधिकार है और वह अभ्यासतः इसका प्रयोग करता है, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती माल खरीदने तक सीमित नहीं हो ;
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, परन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में अभ्यासतः उस उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का भंडार रखता हो जिसमें वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा तिजारती माल का परिदान करता है ।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपना कारबार सामान्य रूप से कर रहे हो ।

6. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारबार चलाती है, इन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी ।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (जिसमें कृषि अथवा वन-संपदा से आय शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ होगा, जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति कृषि और वन संपत्ति में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्त्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा संचालन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत भ्रदायगियों के अधिकार जलयान, नौकाएं तथा वायुयान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद 7

कारबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस में कारोबार नहीं करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, किन्तु केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो (क) उस स्थायी संस्थापन अथवा (ख) उस दूसरे राज्य में उसी अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्य-वस्तुओं की बिक्री जैसे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेंचे जाते हैं ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में, उस स्थायी संस्थापन को वह लाभ प्राप्त हुआ समझा जाएगा जिसके प्राप्त होने की उस स्थिति में अपेक्षा रहती जब वह उन्हीं अथवा वसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और अलग उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह स्थायी संस्थापन है। किसी भी स्थिति में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए समझे जा सकने योग्य लाभ की सही धनराशि निश्चित नहीं की जा सकती हो अथवा उसे निश्चित करने में प्रसाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हों, वहां स्थायी संस्थापन से प्राप्त हुए समझे जा सकने योग्य लाभों का अनुमान उचित आधार पर लगाया जा सकता हो।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं जो उस राज्य के करंधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों, और उनकी परिसीमाओं के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी स्थापना स्थित है, अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. जहां तक संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति संविभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रचलित संविभाजन पद्धति से, कर लगाए जाने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी; तथापि, संविभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य बस्तए खरीदी गयी है।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. इस अनुच्छेद में की किसी बात का बीमे के किसी रूप में व्यवसाय से किसी आय या लाभों पर कर लगाने के संबंध में किसी भी समय पर लागू दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के कानून के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

8. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया हो, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन अभिकरण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. "वायुयान परिचालन" पद का अर्थ होगा यात्रियों, डाक, पशुधन या माल का वायुयान द्वारा परिवहन के संबंध में, वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अयक्रेताओं (चार्टरर्स) द्वारा किया गया व्यापार, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुषंगिक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी अन्य कार्यकलाप शामिल है।

अनुच्छेद 8-क

जहाजरानी

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा उद्भूत लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे लाभों पर भी, जो अन्य संविदाकारी राज्य से प्राप्त होते हैं, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा लगाया गया कर उस कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो इस अभिसमय के अभाव में उन लाभों पर प्रभाय होता।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय प्रचालन अभिकरण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

4. परे 1, 2 और 3 में उल्लिखित किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों में, उस उद्यम को, कन्टेनरों के उपयोग, रख-रखाव अथवा उनके किराये से हुए लाभों (कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और उससे संबंधित उपस्कर सहित) भी उस सीमा तक शामिल है जहां तक वे कन्टेनर अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रयोग किए जाते हों।

अनुच्छेद 9

सम्बन्ध उद्यम

1. जहाँ :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं।

और दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हों जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हों, तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है—और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के एक उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा चुका है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ वे लाभ हैं जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते यदि दो उद्यमों के बीच लगायी गयी शर्तें वे होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगायी जाती हैं, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहाँ प्रभारित कर की राशि का समुचित समायोजन इस प्रकार के समायोजन का विनिश्चय करने में, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों को भी यथोचित ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक दूसरे से परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कम्पनी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांश भदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा, किन्तु यदि प्रापक लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर

लाभांशों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी करार द्वारा इस परिसीमन को लागू करने की पद्धति तय करेंगे।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांशों" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो ऋण दावे नहीं हों, लाभ में भागीदार हों तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर उसी प्रकार कर लगाया जाता है जिस प्रकार कि उस राज्य के कराधान कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश भदा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहाँ स्थिति एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की भदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा भदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकेगा, केवल उस सीमा को छोड़कर जहाँ तक कि ऐसे लाभांशों उस दूसरे राज्य के निवासी को भदा किए जाते हैं अथवा जहाँ तक कि वह धारणाधिकार जिसके संबंध में लाभांशों की भदायगी की जाती है, उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित आधार से प्रभावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे भदा किए गए लाभांशों अथवा अवितरित लाभ पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से इस प्रकार के दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले तथा दूसरे राज्य के निवासी को भदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु

यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभावित कर की राशि ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत में अधिक नहीं होगी। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी करार द्वारा इस परिसीमन को लागू करने की पद्धति तय करेंगे।

3. पैराग्राफ '2 के उपबन्धों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा हितभागी रूप से रखा गया हो :-

- (1) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, दूसरे संविदाकारी राज्य का राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, अथवा
- (2) दूसरे संविदाकारी राज्य का सैन्ट्रल बैंक,
- (3) भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, न्यूजीलैंड के मामले में कोई वित्तीय संस्था, जिसके बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा यह सहमति प्रकट की गयी हो कि वह भारतीय आयात-निर्यात बैंक के स्वरूप की है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खासतौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों से संबंधित किरतें और पुरस्कार शामिल हैं। लेकिन इस पद में अनुच्छेद 10 में निपटाई गयी आय शामिल नहीं है। विलम्ब से की गयी अदायगी के लिए अर्ध-दण्ड संबंधी प्रश्नों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज प्रोद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में, यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा निवासी हो। किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाला व्यक्ति का, चाहे वह

संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा उसके हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अथवा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानून के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर करार द्वारा इस परिसीमन को लागू करने की पद्धति तय करेंगे।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फिल्में, दूरदर्शन के संबंध में प्रयोग के लिए फिल्में या वीडियो टेप या रेडियो प्रसारण के संबंध में प्रयोग के लिए टेप शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माउल प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं" के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है प्रबन्धकीय, तकनीकी या परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, के प्रतिफल में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को और अनुच्छेद 14 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को की गयी अदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रकमों की अदायगियां ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से यह वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार या सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबन्ध, लागू होंगे ।

6. रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थिति में किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । परन्तु जहां रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की अदायगी का दायित्व किया गया था और ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है, तो ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार स्थित है ।

7. जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, प्रयोग के अधिकार अथवा सूचना के सम्बंध में जिसके लिए रकम उन्हें अदा की गयी है, उस रकम से बढ जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होने की दशा में अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी सहमत हो गए होते, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अधिक अदा की गयी रकम, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों पर यथोचित ध्यान देते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होगी ।

अनुच्छेद—13

सम्पत्ति का अन्तरण

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली आय और अभिलाम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से हुई आय या अभिलामों पर, जो संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले समुद्री जहाजों और वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाली आय या अभिलामों पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा ।

4. किसी ऐसी कम्पनी की पूंजी स्टॉक के हिस्सों के अन्तरण से प्राप्त आय या अभिलामों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल सम्पत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी को, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेरों से भिन्न शेरों के अन्तरण से प्राप्त आय या अभिलामों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त आय या अभिलामों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है ।

अनुच्छेद—14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले क्रियाकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो, उस मामले

में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि उसकी दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने को अवधि अथवा अवधियां बारह महीनों की किसी क्रमिक अवधि में कुल 183 दिन अथवा उससे अधिक हों तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों में प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक मेज़ाए" पद के अर्थ-विस्तार के अंतर्गत स्वावलंबी वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप तथा चिकित्सको, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखापाल के स्वावलंबी क्रियाकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाले ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही लग सकेगा यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता किसी क्रमिक बारह महीनों के दौरान 183 दिन की अवधि अथवा ऐसी अवधियों में जिनका कुल जोड़ 183 दिन में अधिक न हो, के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है; और
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा की ओर से की जाती है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होने हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की जाने वाली निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध तब लागू नहीं होंगे यदि संविदाकारी राज्य में किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी के भ्रमण के लिए पूर्णतया या पर्याप्त रूप में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अन्य संविदाकारी राज्य जिसमें उस अन्य राज्य का राजनीतिक उप-प्रभाग या सांविधिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, की सार्वजनिक निधियों से सहायता की जाती है।

अनुच्छेद 18

पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल में प्रदत्त पेंशन और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक और ऐसे निवासी को प्रदत्त किसी वार्षिक भुक्ति पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा।

2. "वार्षिकी" शब्द जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है, का अर्थ उक्त उल्लिखित राशि में है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए, अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

- (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में भ्रदा किया पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कराधेय होगा।
- (ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो जो :
- (i) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके एक राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के लिए उस राज्य अथवा उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को भ्रदा की गयी अथवा उनके द्वारा बनाई गयी निधियों में से उसे दी गई पेंशन पर उसी राज्य में कर लग सकेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है और राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनीतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारबार के संबंध में की गयी सेवाओं के बारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

छात्र और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षु, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उसके भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गयी भ्रदायगियों पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी भ्रदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हों।

2. ऐसा व्यक्ति, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पहले उस संविदाकारी राज्य का निवासी था और जो केवल या अध्ययन प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ संविदा-

कारी राज्य में अस्थायी रूप से उपस्थित था और जो उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा की गयी सहायता कार्यक्रम संबंधी व्यवस्था के तहत अनुदान, भत्ता या पुरस्कार का प्राप्तक है, उसे ऐसे अनुदान या पुरस्कार की राशि पर उम संविदाकारी राज्य में कर से छूट दी जाएगी।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक और अध्यापक

1. अगर कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक किसी संविदाकारी राज्य में, किसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय अथवा अन्य मान्य शैक्षणिक संस्था में अध्यापन अथवा उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजन से यात्रा पर जाता है और अगर वह ऐसी यात्रा के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो, तो उसे ऐसे अध्यापन, उच्च अध्ययन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त उस पारिश्रमिक के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी जिस पारिश्रमिक पर कर अन्य संविदाकारी राज्य में लगाए जाने योग्य है।

2. यह अनुच्छेद उस शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य जनहित में नहीं बल्कि मूलतः विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मर्से जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विशार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी सिवाय इसके कि यदि ऐसी आय अन्य संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, तो उस पर कर उस अन्य राज्य में भी लग सकेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. (क) न्यूजीलैंड के अलावा किसी देश में प्रदत्त न्यूजीलैंड कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने से संबंधित न्यूजीलैंड के कानून के उपबंधों के अधीन (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), भारत के कानून के अन्तर्गत और इस अभिसमय के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा न्यूजीलैंड के किसी निवासी द्वारा भारत में स्रोत से प्राप्त आय के संबंध में (जिसमें किसी लाभांश के मामले में, जिन लाभों में से लाभांश भ्रदा किया जाता है, उनके संबंध में देय कर की रकम शामिल नहीं है), कटौती द्वारा उस आय पर देय कर की रकम को न्यूजीलैंड के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी;

(ख) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, न्यूजीलैंड के किसी निवासी की आय को, जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार कर भारत में लगाया जाएगा, भारत में स्रोतों से उद्भूत आय समझा जाएगा।

2. (क) भारत के अलावा किसी देश में प्रदत्त भारत के कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने से संबंधित भारत के कानून के उपबन्धों के अधीन (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), भारत के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार प्रत्यक्षतः या भारत के किसी निवासी द्वारा भारत में स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में) जिसमें किसी लाभांश के मामले में, जिन लाभों में से लाभांश अदा किया जाता है, उनके संबंध में देय कर की रकम शामिल नहीं है) कटौती द्वारा उस आय पर देय कर की रकम को भारत के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति दी जाएगी;

(ख) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, भारत के किसी निवासी की आय को, जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार कर न्यूजीलैंड में लगाया जाएगा, न्यूजीलैंड में स्रोतों से उद्भूत आय समझा जाएगा।

3. पैरा 1 के प्रयोजनार्थ "प्रदत्त भारतीय कर" में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जाएगी जो उस स्थिति में भारतीय कर के रूप में देय होती यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(4), 10(4क), 10(15)(IV) और दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच तब किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उस वर्ष के लिए कराधेय आय की गणना करने हेतु किसी कटौती की अनुमति न दी गयी हो अथवा कर से छूट अथवा कर में कटौती की मंजूरी न दी गयी हो, बशर्ते कि भारतीय कर के लिए जमा रकम निम्नलिखित रकमों में से जो रकम कम हो उससे अधिक नहीं होगी :

(क) यदि इस पैराग्राफ के उपबन्ध लागू न हो तो न्यूजीलैंड का कर जो न्यूजीलैंड के कानून के अन्तर्गत देय होता; और

(ख) इस अभिसमय के संगत अनुच्छेदों में तब कर की सीमा जहां लागू होनी हो।

अनुच्छेद 24

भ्रम-उपवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी गंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान में और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा

कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यमों पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो प्रथमोलिखित राज्य के वैसे ही कार्यकलाप करने वाले उन उद्यमों पर लगने वाले कराधान तथा संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जिनकी पूंजी प्रथमोलिखित राज्य के निवासियों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह एक संविदाकारी राज्य के निवासियों और गैर-निवासियों के बीच अपने कराधान, कानूनों में मात्र उनकी रिहाइश के आधार पर अन्तर करने और तदनुसार कर लगाने अथवा कर प्रयोजनार्थ छूट, राहत, कटौती या भत्ते की मंजूरी देने से रोकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारी उपायों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण वह कर लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी सन्तोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समयसीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें, पारम्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श भी कर सकते हैं जिनकी अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जहां समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त समझा जाना हो तो इस प्रकार का विचार-विमर्श एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि होंगे।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें वस्तावेज भी शामिल हैं) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था, विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपवचन को रोकने के लिए इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद-1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सूचना मानी जाती है और इसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उगाही, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन, अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे इस सूचना की सार्वजनिक तौर पर न्यायालय कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित के लिए बाध्य करते हैं :—

- (क) ऐसे प्रशासनिक उपाय करना, जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से भिन्न हों;
- (ख) ऐसी सूचना देना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त करने योग्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल होगा।

अनुच्छेद 27

राजनयिक और कौसुली अधिकारी

इस अभिसमय में की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौसुली अधिकारियों के उन वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष अन्तरराष्ट्रीय करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 28

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्य एक दूसरे को यह अधिसूचित करेंगे कि इस अभिसमय के प्रवर्तन के लिए संबंधित अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं।

2. यह अभिसमय, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा और इसके अपबन्ध :

- (क) न्यूजीलैंड में : किसी भी आग्य वर्ष के लिए जो उस तारीख के बाद के परवर्ती कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होता हो जिस तारीख को अभिसमय प्रवर्तित होता है।
- (ख) भारत में : किसी भी 'पूर्ववर्ती वर्ष' (जैसा कि आयाकर अधिनियम 1961 में परिभाषित है) के लिए जो उस तारीख के बाद के परवर्ती कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होता हो जिस तारीख को अभिसमय प्रवर्तित होता है।

अनुच्छेद 29

पर्यवसान

यह अभिसमय उस समय तक लागू रहेगा, जब तक कि संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इसका पर्यवसान नहीं कर दिया जाता। संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम-से-कम छः माह पहले

राजनयिक माध्यम से पर्यवसान का नोटिस देकर इस अभिसमय का पर्यवसान कर सकेगा। ऐसी स्थिति में यह अभिसमय :

- (क) न्यूजीलैंड में : जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती वर्ष में एक अप्रैल को अथवा उसके बाद प्रारम्भ हुए किसी आय वर्ष के लिए;
- (ख) भारत में : जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेंडर वर्ष के एक अप्रैल को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ किसी "पूर्ववर्ती वर्ष" (जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित है) के लिए,

निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत, अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंकलैण्ड में अक्टूबर 1986 के सत्रहवें दिन कोहिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में, किए गए, सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे। इन दो पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की	न्यूजीलैंड की सरकार
सरकार की ओर से	की ओर से
ह०/-	ह०/-
राजीव गान्धी	डेविड लागे
प्रधान मन्त्री	प्रधान मन्त्री

[फाईल सं. 501/1/83-वि. क. प्र.]
वि. यु. एराडि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 27th March, 1987

NOTIFICATION NO. 7204

INCOME TAX

G.S.R. 314(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 23rd December, 1986 on the notification by both the Contracting States to each other of the compliance of the constitutional requirements, as required by paragraph 1 of Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits)

Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of New Zealand,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are :

(a) in the case of New Zealand :
the income tax and the excess retention tax, (hereinafter referred to as "New Zealand tax");

(b) in the case of India :
the income tax including any surcharge thereon and the surtax, (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) (i) the term "New Zealand" means the territory of New Zealand but does not include Tokelau or the Associated Self Governing States of the Cook Islands and Niue; it also includes any area beyond the

territorial sea which by New Zealand legislation and in accordance with international law has been, or may hereafter be, designated as an area in which the rights of New Zealand with respect to natural resources may be exercised;

- (ii) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
- (b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean New Zealand or India as the context requires;
- (c) the term "tax" means New Zealand tax or Indian tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (d) the term "person" includes an individual, a company, any other body of persons or entity which are defined as or deemed to be a person under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "national" means :
 - (i) in respect of New Zealand, any individual possessing citizenship of New Zealand and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the law in force in New Zealand;
 - (ii) in respect of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the law in force in India;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means :
 - (i) in the case of New Zealand, the Commissioner of Inland Revenue or his authorised representative;
 - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance

(Department of Revenue) or their authorised representative.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;

- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry or plantation activities are carried on;
- (i) premises used as a sales outlet;
- (j) a building site or a construction or installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site or project or supervisory activities (together with other such sites or projects or activities, if any) or any combination thereof continue for a period of more than six months; and
- (k) an installation or structure for the exploration or exploitation of natural resources; provided that for the purposes of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on activities in that State in connection with the exploration or exploitation of natural resources in that State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for any other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an

enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if :

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the

enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment or (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Nothing in this Article shall affect any provisions of the law of either Contracting State at any time in force regarding the taxation of any income or profits from the business of any form of insurance.

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this

Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. The term "operation of aircraft" shall mean the business carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft in respect of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

ARTICLE 8A

SHIPPING

1. Profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of ships in international traffic shall be taxed only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, such profits to the extent that they are derived from the other Contracting State may also be taxed in that Contracting State but the tax so imposed shall not exceed 50 per cent of the tax which would have been chargeable on those profits in the absence of this Convention.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. Profits of an enterprise of a Contracting State referred to in paragraphs 1, 2 and 3 includes profits of that enterprise from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers), to the extent that those containers are used in international traffic.

ARTICLE 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the

two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits.

3. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 20 percent of the gross amount of the dividends. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

The paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is

effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 percent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State;
- (iii) in the case of India the Export Import Bank of India; in the case of New Zealand, any financial institution agreed to be of a similar nature to the Export Import Bank of India by the competent authorities of both Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. However, this term does not include income dealt with in Article 10. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a

resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services the tax so charged shall not exceed 30 percent of the gross amount of the royalties or fees for technical services. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, films or video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret

formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 14, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment of a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

ALIENATION OF PROPERTY

1. Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the

other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Income or gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such income or gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Income or gains of an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Income or gains from the alienation of shares of the capital stock of a company where the property of the company consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Income or gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Income or gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any consecutive twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any consecutive twelve month period; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting state may be taxed in that Contracting State.

ARTICLE 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of

the other Contracting State, including a political subdivision, a statutory body or a local authority of that other State.

ARTICLE 18

PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment to a resident of a Contracting State and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in that State.

2. The term "annuity" as used in this Article means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business or technical apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in

that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and is temporarily present in that Contracting State solely for the purpose of study or training as a recipient of a grant, allowance or award from an arrangement for assistance programme entered into by the Government of that Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State on the amount of such grant, allowance or award.

ARTICLE 21

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or carrying out advanced study or research at a university, college, school or other approved educational institution in that Contracting State and who immediately before that visit was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching, advanced study or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State except that, if such income arises in the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

ARTICLE 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. (a) Subject to the provisions of the law of New Zealand relating to the allowance as a credit against New Zealand tax of tax paid in any country other than New Zealand (which shall not affect the general principle hereof), Indian tax paid under the law of India and consistently with Convention, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a resident of New Zealand from sources in India (excluding, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid), shall be allowed as a credit against New Zealand tax payable in respect of that income ;

(b) For the purposes of this Article, income of a resident of New Zealand which in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in India shall be deemed to arise from sources in India.

(a) Subject to the provisions of the law of India relating to the allowance as a credit

against Indian tax of tax paid in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof), New Zealand tax paid under the law of New Zealand and consistently with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a resident of India from sources in New Zealand (excluding, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid), shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income;

- (b) For the purposes of this Article, income of a resident of India which in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in New Zealand shall be deemed to arise from sources in New Zealand.

3. For the purposes of paragraph 1 the term "Indian tax paid" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv) of the Income-tax Act, 1961 and any other provision to be agreed between the competent authorities of both Contracting States. Provided that the credit for the Indian tax to be so allowed shall not exceed the smaller of :

- (a) the New Zealand tax which would have been payable under New Zealand law but for the provisions of this paragraph; and
(b) where applicable, the limitation of tax agreed to in the relevant Articles of this Convention.

ARTICLE 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which enterprises of the first-mentioned State carrying on the same activities, the capital of which is owned or controlled by residents of the first-mentioned State, are or may be subjected.

4. Nothing in this Article shall be construed as preventing a Contracting State from distinguishing in its taxation laws between residents and non-residents solely on the basis of their residence and to levy taxes or grant exemption, relief, reduction or allowance for tax purposes accordingly.

5. In this Article the term "taxation" means the taxes to which this Convention applies.

ARTICLE 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years from the date of receipt notice of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic law of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received

y a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall effect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special international agreements.

ARTICLE 28

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect :

- (a) in New Zealand : for any income year beginning on or after 1 April in the

calendar year next following the date on which the Convention enters into force;

- (b) in India for any "previous year" (as defined in the Income-tax Act, 1961) beginning on or after 1 April in the calendar year next following the date on which the Convention enters into force.

ARTICLE 29

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention by giving notice of termination, through diplomatic channels, at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect :

- (a) in New Zealand : for any income year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that on which the notice of termination is given ;
- (b) in India : for any "previous year" (as defined in the Income-tax Act, 1961) beginning on or after 1 April in the calendar year next following the date on which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Auckland this 17th day of October 1986 in the Hindi and English languages, both the text being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

RAJIV GANDHI
PRIME MINISTER
For the Government of
the Republic of India

Sd/-

DAVID LANGE
PRIME MINISTER
For the Government of
New Zealand

[F. No. 501/1/83-FTD]

V. U. ERADI, Jt. Secy.